"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2010—चैत्र 13, शक 19

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/09/20-एक.—छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम, 1978 (क्र. 20 सन् 1978) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 6 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) उसने अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट की गई आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु प्राप्त न की हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 5-9/09/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd April 2010

NOTIFICATION

No. F 5-9/2009/20-One.— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sansatha (Adhyapakon Tatha Anaya Karmcharion Ke Vetano Ka Sandaya) Adhiniyam, 1978 (No. 20 of 1978), The State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sansatha (Adhyapakon Tatha Anaya Karmcharion Ki Bharti) Niyam, 1979, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For clause (a) of rule 6, the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) He must have attained the age specified in Schedule-I, but should not have attained the maximum age specified by the Government from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.